

आदेश :-

अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहवाड द्वारा खण्ड शाहवाड में (1.चौराखाडी से नयागांव बाग महेशपुर 2. छिकवानी से गाडर-ईराटोरी 3. गांजन से सुवारा 4. रागाड गाताजी मंदिर परिक्रमा मार्ग की चौड़ाईकरण 5. शाहवाड से राजपुर 6. भंवरगढ, नाहरगढ एगडीआर-47 पर सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण एवं उन्नयीकरण 7. परानियां से छतारगंज राजक निर्माण कार्य वि०म० 0/00 से 6/250) राजस्व के निर्माण हेतु वन विभाग की कुल 32.19 हे० भूमि आने के कारण वन भूमि प्रत्यापन हेतु गैर वन भूमि आवंटन की मांग करने पर तहसीलदार शाहवाड द्वारा पट्टचार गण्डल रंगलीफाटक, ग्राम-रानीपुरा के आराजी ख.न. 79 रकबा 18.00 बीघा, खसारा नं. 81 रकबा 21.03 बीघा, ख.न. 16 रकबा 16.15 बीघा, ख.न. 244 रकबा 12.19 बीघा, ख.न. 187 रकबा 12.05 में से 12.00 बीघा ख.न. 232 रकबा 42.05 बीघा, ख.न. 287 रकबा 27.09 बीघा, ख.न. 33 रकबा 4.10 बीघा में से 3.09 बीघा, ख.न. 188 रकबा 21.10 बीघा फिरग गै० गु० एवं ख.न. 201 रकबा 25.14 बीघा फिरग गै० गु० पहाडी कुल वि० 9 कुल रकबा 201.04 बीघा अर्थात 32.19 हे० भूमि प्रस्तावित करने पर उपखण्ड अधिकारी, शाहवाड द्वारा उक्त भूमि वन विभाग को आवंटन किये जाने की अनुशंसा की है। जिस पर वन विभाग से उप वन संरक्षक, बारां द्वारा सहमति प्रदान की है।

शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(262)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तावित 32.19 हे० राजकीय सिंचायक भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निशुल्क आवंटन/हस्तांतरण किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(262)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के क्रम में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा की धारा 102 के तहत एवं अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहवाड की मांग, उप वन संरक्षक, बारां की सहमति तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, शाहवाड की अनुशंसा के आधार पर पट्टचार गण्डल रंगलीफाटक, ग्राम-रानीपुरा के आराजी ख.न. 79 रकबा 18.00 बीघा, खसारा नं. 81 रकबा 21.03 बीघा, ख.न. 16 रकबा 16.15 बीघा, ख.न. 244 रकबा 12.19 बीघा, ख.न. 187 रकबा 12.05 में से 12.00 बीघा ख.न. 232 रकबा 42.05 बीघा, ख.न. 287 रकबा 27.09 बीघा, ख.न. 33 रकबा 4.10 बीघा में से 3.09 बीघा, ख.न. 188 रकबा 21.10 बीघा फिरग गै० गु० एवं ख.न. 201 रकबा 25.14 बीघा फिरग गै० गु० पहाडी कुल वि० 9 कुल रकबा 201.04 बीघा अर्थात 32.19 हे० भूमि को वन विभाग के नाम निशुल्क आवंटन/हस्तांतरण किया जाता है।

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

sd
(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

दिनांक 26.01.2023

क्रमांक-एफ-4(5)(5)राजस्व/2023/ 401 - 09
प्रतिनिधि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शारान उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. रांगागीय आयुक्त महोदय, कोटा रांगा, कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बारां।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां।
5. अधिशायी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहवाड।
6. उपखण्ड अधिकारी, शाहवाड।
7. तहसीलदार, शाहवाड।
8. तहसीलदार, शाहवाड को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश में अंकित भूमि के दखल दिया जाकर दखलनामे की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आवंटन भूमि का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
9. रक्षित पत्रावली।

अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाड
हरि प्रसाद मोना
अधिशायी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाड

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बारां

(दीपक कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक
baramand@gmail.com

पता : मिनी रायचेलय, बारां (325205)

Ph. No. : (07-153) 237001, 237003 (Fax) 237005